लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 को सांय 3.30 बजे प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी हाल में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहे :–

1.	**डा0 एस0 बी0 निमसे**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**	उपस्थित
2.	प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी	प्रतिकुलपति	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री विद्यासागर शुक्ल	विशेष सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	उपस्थित
4.	डा0 ए.के. सिरोही	संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), स्टेट फाइनेन्स सर्विस	सदस्य	अनुपस्थित
5.	श्री बी0बी0 सिंह	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	सदस्य	अनुपस्थित
6.	श्री रामकुमार	कुलसचिव	सदस्य	उपस्थित
7.	श्री एस.के शुक्ल,	परीक्षा नियंत्रक,	सदस्य	उपस्थित
8.	प्रो0 अरविन्द कुमार	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य	उपस्थित

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 04 फरवरी, 2015 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–2

(क) लखनऊ विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक (आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत) के साथ–साथ विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के आय–व्ययक पर विचारोंपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) कला एवं शिल्प महाविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय घाटे की भरपाई करने हेतु शासनादेश संख्या–70–4–99–46(50) दिनांक 16 नवम्बर, 1999 उच्च शिक्षा अनुभाग–4 की व्यवस्थानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु निम्नवत् ~~निम्नवत~~ प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:–

लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नियमित एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के विभिन्न मदों में प्रस्तावित शुल्क वृद्धि

क्रम संख्या	मद का नाम	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क	वृद्धि प्रतिशत	अतिरिक्त आय
1.	**विकास शुल्क** 1 स्नातक 2 परास्नातक	 600 प्रतिवर्ष 300 सेमेस्टर	 1200 प्रतिवर्ष 600 सेमेस्टर	100%	2,50,00,000
2.	**परीक्षा शुल्क** 1 बी0ए0 2 बी0एस0सी0 3 बी0काम 4 एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0काम डिप्लोमा 5 स्ववित्त पोषित (स्नातक, परास्नातक डिप्लोमा)	 2000 प्रतिवर्ष 3000 प्रतिवर्ष 2500 प्रतिवर्ष 1500 प्रति सेमेस्टर 3000 प्रति सेमेस्टर/प्रतिवर्ष	 2400 प्रतिवर्ष 3600 प्रतिवर्ष 3000 प्रतिवर्ष 1800 प्रति सेमेस्टर 3600 प्रति सेमेस्टर/प्रतिवर्ष	20%	7,20,00,000
3.	नामांकन शुल्क (विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय एक बार लिया जाने वाला शुल्क)	750	1000	33%	1,00,00,000
4.	विविध शुल्क– यथा डुप्लीकेट रसीद ब्रेकेज, शीघ्र परिणाम, विलम्ब शुल्क, अंकपत्र प्रमाण शुल्क इत्यादि।	विविध शुल्क के अन्तर्गत समस्त शुल्कों में शत–प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है।			58,00,000
प्रस्तावित शुल्क वृद्धि के उपरान्त आय में कुल अनुमानित वृद्धि					**11,28,00,000**

बिन्दु संख्या–3

जे0ई0ई0 बी0एड0 सत्र 2015–17 के सम्बन्ध में वित्त समिति की बैठक दिनांक 04 फरवरी, 2015 के कार्यवृत्त के अन्य बिन्दु संख्या–01 पर समिति द्वारा अनुमोदित सकल अनुमानित आय रु31,28,75,000/– के सापेक्ष सकल अनुमानित व्यय रु0 23,10,16,550/– के बजट प्रस्ताव पर प्रस्तुत पुनरीक्षित आय–व्ययक में सकल अनुमानित आय रु0 23,07,50,000/– के सापेक्ष सकल अनुमानित व्यय रु0 20,88,91,550/– पर समिति द्वारा विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि विभिन्न स्तर पर शासकीय व्यवस्था एवं नियमों का पालन किया जाये।

अन्य बिन्दु

अन्य बिन्दु संख्या–01

विश्वविद्यालय में समायोजित/विनियमित/अनुमोदित कर्मचारियों को ए0सी0पी0 योजनान्तर्गत पूर्व की अनानुमोदित सेवाओं की निरन्तरता का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में शासन के पत्र संख्या–36/सत्तर–4– 2012–3(8)/2012 दिनांक 24 फरवरी, 2012 से निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये थे :– "कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–वी0सी0/146/ 2012, दिनांक 23.02.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में विगत कई वर्षो से अनवरत रूप से कार्यरत कर्मचारी छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन आहरित कर रहे हैं। इसके पूर्व भी समय–समय पर वेतन निर्धारण समिति के दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूर्व में प्रोन्नत वेतनमान वेतनवृद्वि सहित अन्य लाभ प्राप्त कर रहें है। वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–3282/दस–62(एम)/2008, दिनांक 23.12.2010 के अनुसार ए0सी0पी0 की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विनियमितीकरण की तिथि से सेवा की गणना की जा रही है। कर्मचारी परिषद् द्वारा संबंधित कर्मचारी की सेवा की निरन्तरता की तिथि से ए0सी0पी0 की अवधि की गणना का लाभ दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रकरण की विस्तृत समीक्षा के पश्चात यह स्पष्ट हुआ है कि पूर्व में ऐसे कर्मचारियों को वेतनमान, वेतनवृद्वि तथा समयमान वेतनमान आदि का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जा चुका है तो ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने हेतु कर्मचारी के विनियमितीकरण एवं नियुक्ति संबंधी सेवाओं को पुनः परिभाषित करने का अवसर नहीं रह गया है। अतः अनुरोध है कि समयमान वेतनमान के आधार पर एवं जो अर्ह है उन्हें ए0सी0पी0 की सुविधा दिये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से निर्णय करा लिया जाय और तद्नुसार कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें।"

उक्त के आलोक में कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.12.2013 के मद संख्या 10 में निम्न निर्णय लिया गया :–

"परिषद् द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुमोदित व अनानुमोदित कर्मचारियों जिनकों छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन भत्ते आदि प्रदान किये जा रहें हैं को वेतन आयोग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–3012/ दस–62(एम)/2008 दिनांक 29.09.2010 के बिन्दु संख्या 04 के अर्न्तगत एवं उच्च शिक्षा सचिव द्वारा जारी आदेश संख्या 36/सत्तर–4–2012(8)/2012 दिनांक 24.02.2012 के दृष्टिगत सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) का लाभ अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सहमति प्रदान की गयी।"

उक्त के अनुपालन में रिक्त पद के सापेक्ष समायोजित किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या के सापेक्ष लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारियों को समायोजन की तिथि से पूर्व की अनानुमोदित सेवाओं की गणना करते हुए ए0सी0पी0 की सुविधा प्रदान कर दी गई है किन्तु पूर्व कुलसचिव द्वारा शेष लगभग

20 प्रतिशत समायोजित/अनुमोदित कर्मचारियों को ए0सी0पी0 लाभ प्रदान करते समय उनकी समायोजन की तिथि से पूर्व की अनानुमोदित सेवा की गणना नहीं की गई, जिसके कारण विषमता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः समायोजित कर्मचारियों को उनके समायोजन की तिथि से पूर्व की अनानुमोदित सेवा को जोड़कर ए.सी.पी. दिये जाने पर विचार कर निर्णय लिया जाना है।

समिति द्वारा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, श्री अवनीश अवस्थी द्वारा वर्ष 2012 में जारी किये गये आदेश एवं उक्त के आलोक में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.12.2013 के मद संख्या–10 पर पारित निर्णय को संज्ञान में लेते हुये प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा बहुमत से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2012 में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, श्री अवनीश अवस्थी द्वारा जारी किये गये आदेश एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.12.2013 के मद संख्या–10 पर पारित निर्णय के अनुसार ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाते समय पूर्व की भांति समायोजित/अनुमोदित कर्मचारियों को ए0सी0पी0 का लाभ देने हेतु समायोजन की तिथि से पूर्व की अनानुमोदित सेवाओं को भी गणना में लिया जाये।

असहमति वित्त समिति के मा0 सदस्य प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि विशेष सचिव वित्त द्वारा अपनी विसम्मति अंकित कराते हुये अभिमत दिया गया कि ए0सी0पी0 के लाभ हेतु कर्मचारियों के नियमित सेवा अवधि को ही गणना में लिया जाये। वे0 आ0–2–773/दस–62(एम)/2008 दिनांक 5.11.2014 की व्यवस्था अनुसार कार्यवाही की जाये।

बिन्दु संख्या–02

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष सितम्बर 2001 के पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान की सुविधा अनुमन्य करायी जा चुकी है शेष कर्मचारियों में से नवम्बर 2006 तक के कर्मचारियों को नियत वेतन श्रेणी अनुसार अनुमन्य कराया जा चुका है, वर्तमान में लगभग 100 कर्मचारियों से दैनिक वेतन/मस्टर रोल पर कार्य लिया जा रहा है जिन्हें उनकी दीर्घ सेवावधि के दृष्टिगत दैनिक वेतन/मस्टररोल कर्मी को नियत वेतन प्रदान किये जाने की माँग की जा रही है।

वित्त समिति की बैठक 01 मार्च, 2006 व कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन के आधार पर सिद्धान्तः यह स्वीकार किया गया था कि जिन कर्मचारियों का आचरण संतोषजनक है उनको नियत वेतन दे दिया जाय। यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में तृतीय श्रेणी रू0–7300/– एवं चतुर्थ श्रेणी को रू0 6900/– नियत वेतन दिया जा रहा है।

अतः 03 वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्यरत कर्मचारियों को नियत वेतन दिये जाने पर विचार कर निर्णय लिया जाना है।

इस सन्दर्भ में प्रति कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो कर्मचारियों के सेवा अवधि व कार्य आचरण आदि का परीक्षण करके दो माह के अन्दर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के क्रम में दिनांक 01 मार्च, 2006 के वित्त समिति के कार्यवृत्त के मद संख्या–01 (ए) एवं 01 (बी) पर पारित निर्णय एवं शासन द्वारा 30 अगस्त वर्ष 2013 से संविदा पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने सम्बन्धी व्यवस्था को संज्ञान में लिया गया। समिति में विचार–विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा यह व्यवस्था दिया गया कि वर्तमान में प्रचलित दर पर नियत

वेतन प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण कार्य परिषद के आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये तथा कार्य परिषद के निर्णय पर एक माह के अन्दर प्रशासकीय विभाग से भी सहमति प्राप्त कर ली जाये।

बिन्दु संख्या–03

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न श्रेणी के 288+42 पदों का सृजन करते हुए कार्यरत अनानुमोदित कर्मचारियों में से आरक्षण इत्यादि नियमों का पालन करते हुए समायोजित किये जाने का निर्देश प्रदान किया गया था, जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2000, 2001 एवं 2002 तक समस्त पदों पर समायोजन प्रकिया पूर्ण कर लिया गया था। यह प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त कुछ कर्मचारियों का समायोजन पद की अनुपलब्धता के कारण नही हो सका था। शासन द्वारा भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण आगे होने वाले रिक्त पदों पर समायोजन प्रक्रिया रूकी हुई है।

प्रसंगवश यह भी सूचित करना है कि उक्त के अतिरिक्त शासनादेश के प्राविधानानुसार वर्ष 1991 के पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेश की व्यवस्थानुसार लगभग 52 कर्मचारियों को विनियमित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लिपिक वर्गीय समूह ग के निम्नलिखित श्रेणी के पदों पर (पदोन्नति के भर्ती नियमन 2000 के अनुसार) कुल स्वीकृत पदों का 15 प्रतिषत हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं 05 प्रतिशत इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण विहित प्रकिया को अपनाते हुए नियमितीकरण किया जायेगा।

विश्वविद्यालय में वर्तमान में पदोन्नति/सेवानिवृत्त इत्यादि से तृतीय श्रेणी विभिन्न लगभग 280 पद सीधी भर्ती के रिक्त हैं। विश्वविद्यालय में वर्तमान में आवश्यकतानुसार लगभग 500 अनानुमोदित कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है। उक्तानुसार रिक्त लगभग 280 पदों पर अनानुमोदित रूप से कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पूर्व की भॉति समायोजन किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या –357/सत्तर–4–2015, दिनांक 20 मार्च, 2015 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा शासन को संदर्भित किया जा चुका है।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समयबद्ध रूप से एक माह के अन्दर शासन स्तर से कार्यवाही पूर्ण करायी जाये।

बिन्दु संख्या–4

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी मृतक आश्रित सेवानियमावली 1994 यथासंशोधित में यद्यपि कि मृतक अनानुमोदित कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नही है तथापि विश्वविद्यालय कार्य परिषद के निर्णयानुसार मृतक अनानुमोदित कर्मचारियों के आश्रितों को भी पूर्व में सेवायोजन प्रदान किया गया है। वर्तमान में अनानुमोदित मृत कर्मचारी के स्थान पर मृत कर्मचारी की प्रास्थिति अनुसार सेवायोजन नही प्रदान किये जाने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है।

कर्मचारी परिषद् के साथ हुई वार्ता के क्रम में मृतक अनानुमोदित कर्मचारियों के आश्रितों को मृत कर्मचारी की प्रास्थिति अनुसार स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में सेवायोजित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

इस सम्बन्ध में समिति ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया कि प्रकरण स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की आय पर व्ययभार भारित किये जाने सम्बन्धित है, तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय भी लिया जा

चुका है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रस्ताव वित्त समिति में लाये जाने का औचित्य नहीं रह गया है अतः प्रकरण पर विश्वविद्यालय अपने स्तर से कार्यवाही करे।

बिन्दु संख्या–5

वित्त समिति की बैठक दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 के बिन्दु संख्या–03 द्वारा निर्णय लिया गया था कि शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के अन्य राज्य विश्वविद्यालयों से पता लगा लिया जाये कि इस सम्बन्ध में क्या प्राविधान है। तत्क्रम में अन्य राज्य विश्वविद्यालयों से आख्या प्राप्त की जा रही है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य विश्वविद्यालयों से जुलाई 2015 से पूर्व आख्या प्राप्त करके तद्नुसार वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

बिन्दु संख्या–6

विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को परीक्षा कार्यों हेतु मिलने वाले मानदेय/पारिश्रमिक दर के सम्बन्ध में समिति द्वारा वित्त समिति के कार्य वृत्त दिनॉक 7 जुलाई, 2011 के बिन्दु सं0–2(ख) में अनुमोदित व्यवस्था को संज्ञान में गया जो कि निम्नवत है–"शिक्षकों को परीक्षा सम्बन्धी मानदेय रू0 60/– से बढ़ाकर रू0 90/– किये जाने तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पारिश्रमिक/वास्तविक मार्ग व्यय रू0 40/–से बढ़ाकर 60/- तथा रू0 30/–से बढ़ाकर रू0 45/–किये जाने के सम्बन्ध में समिति ने अनुमोदन प्रदान किया।"

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में उक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में समान रूप से लागू किया जाये।

(एस0के0 शुक्ल)
परीक्षा नियंत्रक

24/3/2015
(रामकुमार)
कुलसचिव

(प्रो0 अरविन्द कुमार)
वित्त अधिकारी

(विद्यासागर शुक्ल)
विशेष सचिव (वित्त),
उ0 प्र0 शासन

(प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी)
प्रति–कुलपति

(डा0 एस0बी0 निमसे)
कुलपति